न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/101/2014

उनवान

1. लादूलाल पुत्र रामा तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. हीरा लाल पुत्र रामा तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. नानी बेवा रामा तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. देबी लाल पुत्र गणेश तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. राजू पुत्र गणेश तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
6. मदनी पुत्री गणेश तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
7. लहरी पुत्री गणेश तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
8. हरदेव पुत्र नानू तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
9. गोपी पुत्र नानू तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
10. मोहन पुत्र नगजी तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
11. लक्ष्मण पुत्र नंगजी तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स/प्रार्थीगण

बनाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. माधु पुत्र गोकल तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. शिवराज पुत्र माधु तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. गोपाल पुत्र माधु तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. सत्यनारायण पुत्र माधु तेली निवासी पुराना प्रतापपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के
प्रकरण संख्या 44/2014 निर्णय दिनांक 16.6.2014

अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय सेन , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री के जी शर्मा ,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द स्थित खाता संख्या 238 पर आराजी नम्बर 135 रकबा 0.01 हेक्टेर गैर मुमकिन कुई के रूप में प्रार्थीगणों के नाम पर पर खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी प्रर्थीगणों की विरासतसुदा खातेदारी आराजियात में विपक्षीगण का किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं होते हुए भी विपक्षीगण उक्त आराजियात में किसी भी प्रकार का हक व अधिकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं होते हुए भी प्रार्थीगणों को परेशान करने की नियत से उक्त आराजियात में अवैध रूप से अतिक्रमण कर उस पर जबरन कब्जा करने की बदनियत से उक्त आराजियात पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण करने पर आमादा है। उक्त कृत्य को अंजाम देने की नियति से विपक्षीगण ने आराजी नम्बर 135 में स्थित सिंचाई के साधन गैर मुमकिन कुई को मिट्टी से भर दिया है तथा उक्त 0.01 हे भूमि पर अवैध रूप से काबिज होकर निर्माण करवाना चाह रहे हैं ।

2. वादग्रस्त आराजी नम्बर 135 रकबा 0.01 हे0 के साबिक रेकार्ड के अनुसार एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 138/2 है जो कि रेकार्ड अनुसार श्री भूरा पिता तुलछा तेली के नाम खातेदारी हक से दर्ज चला आ रहा है। उक्त जमाबंदी में ही इन्तकाल नम्बर 183 दिनांक 30.4.1971 की अमल दरामदगी है जिस अनुसार तत्कालीन खातेदार श्री भूरा पिता तुलछा तेली की मृत्यु उपरान्त रामा, गणेश , पिता भूरा एवं नानू , मोहन , लक्ष्मण, पिता नगजी तेली के नाम खातेदारी हक से दर्ज हुआ है। जो कि समस्त प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के वली थे। उक्त साबिक रेकार्ड के अनुसार विपक्षीगण का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक अधिकार नहीं रहता है। अतः विपक्षीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 135 जिसके साबिक आराजी नम्बर 138/2 थे । उक्त तथ्य राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित भी है। उसके बावजूद अपीलार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश पारित नहीं कर अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो कि विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि साबिक आराजी नम्बर 138/2 अपीलार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने एवं अपीलार्थीगण को परेशान करने की नियत से जबरन कब्जा कर वहॉ पर निर्माण करने पर आमादा है। उक्त आराजी पर स्थित कुई को प्रत्यर्थीगण ने मिट्टी से भर दिया है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण की पुश्तैनी आराजी होकर उक्त आराजी में प्रत्यर्थीगण का किसी प्रकार का अधिकार निहित नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थीगण के पक्ष में होने के बावजूद अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज किया गया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण की आराजी पर प्रत्यर्थीगण निर्माण नही करना चाह रहे हैं बल्कि प्रत्यर्थीगण की स्वयं की पुश्तैनी साबिक आराजी नम्बर 138/1 है जिसका रकबा 2 बिस्वा होकर खाता संख्या 38 से जानी जाती है। इससे परे जाकर अपीलार्थीगण ने इस साबिक आराजी नम्बर का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं कर साबिक आराजी नम्बर 138/2 का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है । वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का कथन है कि उनकी पुश्तैनी आराजी नम्बर 138/2 रकबा 0.01 है जिसके हाल आराजी नम्बर 135 है। इसकी पुष्टि में राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में हाल आराजी नम्बर 135 के खातेदार लादू, हीरा, पिता रामा पानी बेवा राम 2/3 , देबीलाल, राजू पिता गणेश, मदरनी ,लहरी पुत्री गणेश 1/2, नानू, मोहन, लक्ष्मण पिता नगजी 1/3 साकिन देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

9. मिलान क्षेंत्रफल भू प्रबन्ध विभाग का अवलोकन किया गया । जिसके अवलोकन से यह तथ्य भलीभॉति स्पष्ट है कि हाल आराजी नम्बर 135 के साबिक आराजी नम्बर 138/2 थे। चूंकि अपीलार्थीगण ने हाल आराजी नम्बर 138/2 को अपनी पुश्तैनी होने का कथन किया है। जिसके हाल आराजी नम्बर 135 बने हैं । इस तथ्य की पुष्टि उक्त राजस्व रेकार्ड से होती है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा प्रतापपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील आसीन्द की हाल आराजी नम्बर 135 रकबा 0.01 किस्म गैर मुमकिन कुई में अपीलार्थीगण के कब्जे, उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं करें, अवेध निर्माण नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

11. निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ी